राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राज0,जयपुर।

क्रमांकः–प.2(ओ0एण्डएम0)/13 /आ0कृ0/292-425 दिनांकः– 2-5-2016

परिपत्र

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जो पत्र/प्रकरण प्रेषित या प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर अंकित टिप्पणी/नोट अथवा पत्रों पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, तिथि अंकित की जानी चाहिए। इस संबंध में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना आवश्यक रूप से की जावेंः–

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रेषित/प्रस्तुत पत्रों टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी हस्ताक्षर किये जावें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
2. राजकीय पत्र व्यवहार करते समय, पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ–साथ पत्र के आधार (Bottom) पर कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेब–साइट, कार्यालय/अधिकारी की ई–मेल आई.डी. भी अंकित की जावें।
3. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम पदनाम अंकित नहीं हो, उनकी पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर, संबंधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावे।

सभी अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

(डॉ.नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ
शासन सचिव कृषि

क्रमांकः–प.2(ओ0एण्डएम0)/13 /आ0कृ0/292-425 दिनांकः– 2-5-2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, श्याम/ समेती (आत्मा) दुर्गापुरा, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक कृषि,/ समस्त कम्पोनेंट प्रभारी मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, खण्डीय/दुर्गापरा, जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक कृषि, मुख्यालय/विस्तार जिला परिषद।
5. समस्त सहायक निदेशक कृषि, (विस्तार) मुख्यालय।
6. ए.सी.पी./सहायक जनसम्पर्क अधिकारी मुख्यालय।
7. आरक्षी पंजिका।

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)